रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 163] नई दिल्ली, बुधवार, जून 26, 1974/आषाढ़ 5, 1896

No. 163] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 26, 1974/ASADHA 5, 1896

Central Secretariat Library
... 1974
Govt. of India

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June 1974

G.S.R. 284(E)/IDRA/30/1/74.—Whereas certain draft rules further to amend the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules 1952, were published as required by sub-section (1) of section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), at pages 767—69 of the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 5th April, 1974, under the notification of the Government of India in the Ministry of Industrial Development, No. G.S.R. 173(E)/IDRA/30/1/674/6, dated the 5th April 1974, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the 6th May, 1974;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 15th April, 1974;

And whereas no objections or suggestions have been received by the Central Government on the said draft;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, namely:—

1. These rules may be called the Registration and Licensing of Industrial Undertakings (Third Amendment) Rules, 1974.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Regulation and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952—

(1) in Form A,—

(i) in paragraph 1, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

"(d) industrial undertakings producing on 7th February, 1974, or at any time during the twelve months preceding that date, any articles relatable to the industries added to the First Schedule by the Industries (Development and Regulation) Amendment Act, 1973,".

(ii) in paragraph 2, for the words, figures and letters "or 1st March, 1957", the figures, letters and words ", 1st March 1957, or 7th February 1974" shall be substituted;

(2) in Form B,—

(i) in paragraph 1, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

'(d) industrial undertakings which had taken effective steps as defined in rule 2(ii) of these rules, on or before the 7th February, 1974, for the production of articles relatable to the industries added to the First Schedule by the Industries (Development and Regulation) Amendment Act, 1973.",

(ii) in paragraph 2, for the words, figures and letters "or 1st March, 1957", the figures, letters and words, "1st March, 1957, or 7th February, 1974" shall be substituted.

[No. 13/4/LP-74]
S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 1974

सा० का० नि० 284 (अ)/आई० डी० आर० ए०/30/1/74.—यत: औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 में और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 173 (अ)/आई डी आर ए/39/1/674/6, तारीख 5 अप्रैल, 1974 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 5 अप्रैल, 1974 के पृष्ठ 767–69 पर प्रकाशित किए गए थे जिनमें उन सभी व्यक्तियों से 6 मई, 1974 से पूर्व आक्षेप या सुझाव मांगे गए थे जिनका उनसे प्रभावित होना सम्भव था :

और यत: उक्त राजपत्र जनता को 15 अप्रैल, 1974 को उपलभ्य करा दिया गया था ;

और यत: उक्त प्रारूप पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं किए गए हैं ;

अत: , अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम, बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन (संशोधन) नियम, 1974 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 में,—

(1) प्ररूप (क) में,—

(i) पैरा 1 में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) 7 फरवरी, 1974 को या उस तारीख से पूर्ववर्ती 12 मास के दौरान किसी समय उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1973 द्वारा प्रथम अनुसूची में जोड़े गए उद्योगों से सम्बन्धित किन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करने वाले औद्योगिक उपक्रम" ;

(ii) पैरा 2 में, "या पहली मार्च, 1957" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "पहली मार्च, 1957 या 7 फरवरी, 1974" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ;

(2) प्ररूप (ख) में,—

(i) पैरा 1 में खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) ऐसे औद्योगिक उपक्रम जिन्होंने उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1973 द्वारा प्रथम अनुसूची में जोड़े गए उद्योगों से सम्बन्धित वस्तुओं के उत्पादन के लिए 7 फरवरी, 1974 को या उससे पूर्व इन नियमों के नियम 2 (ii) में यथापरिभाषित प्रभावशाली कदम उठाए हों।";

(ii) पैरा 2 में, "या पहली मार्च, 1957" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "पहली मार्च, 1957 या 7 फरवरी, 1974" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 13/4/एल० पी०-74]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974

अवधारण करने में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 47/72—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 के उपबन्धों के अधीन की गई मोटर यानों के टायरों के निकासी मूल्य को गणना में लिया जाएगा ।

[8/74—फा० सं० 331/26/73—टी० आर० यू०]

बी० के० अग्रवाल, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974

Provided that such exemption shall apply only in relation to the first clearance of the tyres of the description specified in column (1) of the said Table for home consumption during any financial year upto a total value of fifty lakhs of rupees;

Provided further that in determining under the preceding proviso the total value of fifty lakhs of rupees for the period commencing on the 1st April, 1973 and ending with the 31st March, 1974, the value of clearances of tyres for motor vehicles effected under the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 47/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972 shall be taken into account.

[8/74—F. No. 331/26/73-TRU]

B. K. AGARWAL, Under Secy.

सा० का० नि० 16 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना स० 47/72—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 को अधिक्रान्त करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वर्णन के टायरों के, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 16 की उपमद (1) के अन्तर्गत आते हैं, सम्बन्ध में उन पर उदग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से छूट देती है, जितना उक्त सारणी के क्रमश: स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है और यह छूट उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में वर्णित शर्तों के अधीन होगी।

सारणी

वर्णन	शुल्क	शर्तें
1	2	3
मोटर यानों के लिए टायर, सिवाय उनके जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 6/74—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जनवरी, 1974 से उपाबद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट हैं।	चालीस प्रतिशत मूल्यानुसार.	यदि गृह उपभोग के लिए, वित्तीय वर्ष के दौरान विनिर्माता द्वारा निकासी किए गए मोटर यान टायरों का कुल मूल्य दो करोड़ रुपये से अधिक न रहा हो।

परन्तु यह छूट गृह उपभोग के लिए किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पचास लाख रुपये तक के कुल मूल्य के उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वर्णन के टायरों की प्रथम निकासी के सम्बन्ध में ही लागू होगी :

परन्तु यह और भी कि पहली अप्रैल, 1973 को आरम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए पिछले परन्तुक के अधीन पचास लाख रुपये के कुल मूल्य का